


23/11/2021  
10/11/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ल	अप्रार्थी
<del>शुभम पुत्री हीरापत इमर</del> <del>राजमल</del>	नी म	
राजस्व प्रार्थना-पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
प्रार्थना-पत्र नम्बर <u>587/2021</u>		GCMS No. <u>2021/666</u>
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
<u>10.11.2021</u>	<p>प्रार्थी श्री <del>शुभम</del> पुत्री <del>हीरापत</del> जाति <del>शुभम</del> निवासी <del>राजमल</del> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <del>खादिना</del> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <u>2076-78</u> ग्राम <del>खादिना</del> पटवार मण्डल <del>खादिना</del> के खाता नम्बर <u>11</u> में प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <del>शुभम पुत्री हीरापत इमर</del> <del>हयितपुत्र</del> दर्ज है, जो अशुद्ध है। प्रार्थी का शुद्ध नाम <del>शुभम पुत्री हीरापत इमर</del> <del>राजमल</del> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप प्रार्थी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर <u>858253145062</u> मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <del>खादिना</del> भू.अ.नि <u>3</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने प्रार्थी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)



386-388